NOTE FOR PAD

- The Haryana Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Act No. 41 of 1963) enables Department of Town & Country Planning to prevent haphazard and sub-standard development along scheduled roads in the State of Haryana.
- The action against unauthorized buildings falling within Municipal Limits of any town is to be taken by Urban Local Bodies Department. Further, action against unauthorized buildings which are falling outside Municipal Limits, but within Controlled Area declared by Town & Country Planning Department, then action is required to be taken Town & Country Planning Department. However, part of this area is being looked after by Gurugram Metropolitan Development Authority & Faridabad Metropolitan Development Authority in case of Gurugram and Faridabad respectively. PWD(B&R) is the Competent Authority to take any action against the unauthorized buildings, which are falling outside Controlled Areas.
- As per the detailed reports placed at Annexure 'A' to Annexure 'E', a total no. of 1722 unauthorized buildings were identified in last three years. Show Cause Notices were issued against 1523 unauthorized buildings and restoration orders were issued in 1408 cases. FIRs have also been lodged in 99 cases and 393 unauthorized buildings have been demolished. The Department wise status of action taken is given as under:-

Summary of action taken regarding unauthorized buildings within green belt along NH/Scheduled Roads in the state							
Sr. No.	**Item**	**Falling Under Jurisdiction of Town & Country Planning Department (Annexure-A)**	**Falling Under Jurisdiction of Gurugram Metropolitan Development Authority (GMDA) (Annexure-B)**	**Falling Under Jurisdiction of Faridabad Metropolitan Development Authority (FMDA) (Annexure-C)**	**Falling Under Jurisdiction of ULB Department (Annexure-D)**	**Falling Under Jurisdiction of PWD (B&R) (Annexure-E)**	**Total**
1	Total detection	813	57	17	731	104	1722
2	SCN issued	813	57	17	636	0	1523
3	Restoration order issued	779	55	14	560	0	1408
4	FIR sent	98	0	0	1	0	99
5	Demolition carried out	286	3	6	37	61	393

नोट फॉर पैड

- हरियाणा अनुसूचित सडकें और नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 (1963 का अधिनियम संख्या 41) हरियाणा राज्य में अनुसूचित सडकों के साथ बेतरतीब और घटिया विकास को रोकने के लिए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग को सक्षम बनाता है ।
- किसी भी कस्बे की नगरपालिका सीमा के भीतर आने वाले अनाधिकृत भवनों के संबंध में कारवाई, शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा आवश्यक कारवाई की जानी है, साथ ही नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र में नगर निगम की सीमा से बाहर के अनाधिकृत भवनों के विरुध कारवाई नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा की जाने की आवश्यकता है। हालाँकि गुरूग्राम और फरीदाबाद के मामले में गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण एवं फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा इस क्षेत्र के हिस्से के देखभाल की जा रही हैं। पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) नियंत्रित क्षेत्रों के बाहर आने वाले अनधिकृत भवनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है।
- अनुबन्ध 'ए' से अनुबन्ध 'ई' पर दी गई संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों, में कुल 1722 अनधिकृत इमारतों की पहचान की गई। 1523 अनधिकृत इमारतों के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और 1408 मामलों में बहाली के आदेश जारी किए गए। 99 मामलों में एफआईआर भी दर्ज की गई है और 393 अनधिकृत इमारतों को तोड़ा गया। विभागवार की गई कार्रवाई की स्थिति निम्न अनुसार दी गई है।

राज्य में एन0एच0/अनुसूचित सड़कों के किनारे हरित पटटी के भीतर अनाधिकृत भवनों के संबंध में की गई कार्रवाई का विवरण

क्रमांक न0	विवरण	नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग के अधिकार क्षेत्र में शामिल अनुलग्नक 'क'	गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल अनुलग्नक 'ख'	फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में शामिल अनुलग्नक 'ग'	डी0यु0एल0बी0 के अधिकार क्षेत्र में शामिल अनुलग्नक 'घ'	पी0डब्ल्यू0डी0 बी0एड0आर के अधिकार क्षेत्र में शामिल अनुलग्नक 'ड़'	कुल
1.	कुल खोज	813	57	17	731	104	1722
2.	भेजे गए कारण दर्शाओं नोटिस	813	57	17	636	0	1523
3.	भेजे गए निर्माण गिराओं नोटिस	779	55	14	560	0	1408
4.	भेजी गई एफ0आई0आर	98	0	0	1	0	99
5.	तोड़ फोड़ की गई	286	3	6	37	61	393